<u>प्रकरण संख्या 54 / 2022 महेन्द्र कुमार बनाम बाबूसिंह व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 प्रेमशंकर ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लोसिंग में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 1194, 1278, 1649 से 1652, 1658 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा स्थित है, जिसमें वादीगण का 2 / 6 हिस्सा है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 847, 879, 915 कुल किता 3 रकबा 13 बिस्वा स्थित है, जिसमें वादीगण का 2 / 6 हिस्सा है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ग'' की आराजी नंबर 3841, 3842, 3846, 3848 से 3851 में वादीगण का 2 / 6 हिस्सा है। उक्त हिस्से अनुसार ही वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर हुए दिनांक 21.04.1977 अनुसार काबिज हैं। विभाजन की पृष्ठि दिनांक 07.06.1986 को वादीगण एवं प्रतिवादी नाथूलाल के मध्य हुए इकरार समझौते की कमल संख्या 2 अनुसार काबिज हैं, लेकिन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से प्रतिवादीगण वादीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं। यही नहीं प्रतिवादी संख्या 6 ने गलत तरीके से बिना कब्जा सिपुर्द किये आराजी नंबर 3849, 3850, 3851 को बेनामी तरीके से विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया है, जबकि उक्त आराजी हक हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 की होकर उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को कब्जा सिपुर्द कर दिया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को आराजी नंबर 3146, 3147, 3149, 3150, 3152, 3153, 3154, 3841, 3842, 3846, 3848 का बिकाव प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा बेनामी तरीके कर कर दिया गया है, जबकि उक्त आराजियात वादीगण के कब्जे काश्त की होकर इसमें से आराजी नंबर 3841, 3842, 3846, 3848 से 3851 में स्थित अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 भी उक्त बेनामी विक्रय पत्र के आधार पर आये [illegible] है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर खाते अलग–अलग किये जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 54/2022 महेन्द्र कुमार बनाम बाबूसिंह व अन्य

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा साथ ही प्रतिदावा प्रस्तुत कर प्रतिवादा स्वीकार करने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 05.07.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21.07.2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट/प्रार्थी को दिनांक 23.06.2022 को नकल प्राप्त करने पर हुई। जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट दिनांक 23.06.2022 को जानकारी होने के मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए करीब 5 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.08.2015 को तनकियात कायम की तथा दिनांक 04.01.2016 को वादी प्रेमशंकर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् लोक अदालत [illegible] क 03.06.2016 की पेशी नियत कर प्रकरण वादी की साक्ष्य [illegible] नियत किया गया। दिनांक 17.01.2017 को प्रतिवादी द्वारा आदेश 13 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके जवाब एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:12 IST
Reason: SelfAttested

बहस में प्रकरण नियत होने के बावजूद दिनांक 05.06.2017 को वादीगण की अनुपस्थिति में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की विषय वस्तु को ध्यान में रखे बगैर पूर्व में पक्षकारों के मध्य हुए आपसी इकरार समझौते को बिना ध्यान में रखे निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक प्रक्रिया कि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के विक्रय पत्रों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 17.01.2017 को आदेश 13 नियम 3 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए प्रकरण दिनांक 10.05.2017 को बहस हेतु नियत था, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना कोई बहस सुने प्रकरण दिनांक 10.05.2017 के स्थान पर सीधे ही दिनांक 05.06.2017 को राजस्व लोक कैम्प लोसिंग में रखकर अपीलान्ट/वादीगण की अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 36/2014 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पुनः पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:12 IST
Reason: Self Attested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
उपखण्ड अधिकारी
एवं अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर